बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोतर संख्या ३९ एवं ४५	१—९
तारांकित प्रश्नोतर संख्या ३९२-३९३, ३९६, ४३६-४३७, ४४०—४४६ एवं ४४९। ..	१०—२६
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	२७—४७
दैनिक निबंध	४९

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

सही नहीं है। यह बात ठीक है कि लेवी अभियान में अधिकारियों को व्यस्त रहने के कारण अभीतक ११ सुत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कुछ व्यवधान हुआ है।

(२) प्रश्न के उपर्युक्त खंडों के प्रश्नोत्तर के संबंध में इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकारी जमीन का दखल।

४१०। श्री अजीजुल हक—क्या मंत्री, राजस्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण के बेतिया शहर के अन्तर्गत श्री छेदी लाल शर्मा ने बसवरिया, वार्ड नंबर १६ के खेसरा नंबर ८६५१, ८६५३, ८६५४ की ९ कट्ठा १९ धूर सरकारी जमीन को नाजायज रूप से दखल कर लिया है;

(२) क्या यह बात सही है कि शहरी जमीन होने के कारण इसकी कीमत एक लाख रुपया है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नाजायज अधिकृत जमीन को भूमिहीनों में वितरण करना चाहती है; यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लहटन चौधरी—(१) पश्चिमी चम्पारण के बेतिया शहर के खेसरा नंबर ८६५३ रकबा ३ कट्ठा १० धूर श्री दामोदर मिश्र की रैयती जमीन है और उनके नाम से जमाबंदी पहले से चली आ रही है। खेसरा नंबर ८६५४, रकबा ५ कट्ठा १६ धूर में से ५ कट्ठा १२ धूर जमीन जमींदारी सरकार में निहित होने के पूर्व ही बेतिया राज द्वारा श्री दामोदर मिश्र के साथ बंदोबस्त कर दी गई है। श्री छेदी लाल शर्मा, श्री दामोदर मिश्र के वारिस है। खेसरा नं० ८६५१ की जमीन म्युनिसिपल गली खास करके दर्ज है जिसमें ५ धूर जमीन श्री छेदी लाल शर्मा के गसबन कब्जे में है। यह जमीन बेतिया नगरपालिका की है और गसबन कब्जा हटने की कार्रवाई नगरपालिका द्वारा की जा सकती है।

(२) प्रश्नगत जमीन बेतिया शहर से लगी हुई है। अतः इसकी कीमत ५,००० (पांच हजार) प्रति कट्ठा अनुमानित की जा सकती है।

(३) प्रश्न खंड (१) के प्रश्नोत्तर के समक्ष यह प्रश्न ही नहीं उठता है।